न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 30/2025 (GCMS: 2025/35)

राज्य सरकार जरिये श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

काशीराम पुत्र श्री राजेश कुमार जाति मेघवाल गांव चमार खेड़ा, तहसील सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हुए। विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 08.01.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ पतली चैक पोस्ट (राजस्थान–पंजाब बोर्डर) सादुलशहर पर पहुंचे। मौके पर पंजाब की ओर से आ रही एक स्लेटी रंग की सवारी वाहन संख्या आरजे 14 टीए 9228 तूफान फोर्स क्रूजर को रोककर, वाहन की जांच की गई। मौके पर वाहन में उपस्थित वाहन चालक से पूछने पर उसने अपना नाम काशीराम पुत्र राजेश कुमार जाति मेघवाल निवासी गांव चमार खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बताया। मौके पर वाहन की जांच करने पर उसमें 130 लीटर पेट्रोल और 180 लीटर डीजल पाया गया, जिसे अप्रार्थी ने स्वयं का होना स्वीकार किया गया तथा बताया कि वह **पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल–पेट्रोल का बेचान मांग के अनुसार करना बातया।** मौके पर काशीराम द्वारा पेट्रोल/डीजल के बेचान के संबंध में कोई कागजात/अनुमति/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। काशीराम ने **बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल [illegible] करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण [illegible] विनि[illegible] और अनाचार विवरण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(8) [illegible] उल्लंघन करने के कारण**, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आ[illegible]क वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर, मौके पर जब्तशुदा 130 लीटर पेट्रोल, 180 लीटर डीजल मय 09 प्लास्टिक कैनियों को राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:08 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी काशीराम को नोटिस जारी किया गया था, जो अप्रार्थी को विधिवत् तामील प्राप्त होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं।

विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 08.01.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ पतली चैक पोस्ट(राजस्थान पंजाब बोर्डर) सादुलशहर पर पहुंचे तो अप्रार्थी काशीराम बिना अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र के पंजाब से पेट्रोल एवं डीजल लाता हुआ पाया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का परिवहन करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 के खण्ड 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 का उल्लंघन करने के कारण जब्तशुदा 06 प्लास्टिक की कैनियों में 130 लीटर पेट्रोल एवं 03 प्लास्टिक कैनियों में 180 लीटर डीजल को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली एवं विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ ने दिनांक 08.01.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु पतली चैक पोस्ट (राजस्थान–पंजाब बोर्डर), सादुलशहर पर नाका लगाया गया। मौके पर अप्रार्थी काशीराम सवारी वाहन संख्या आरजे 14 टीए 9228 तूफान क्रूजर को रोक गया तथा वाहन की जांच की गई। मौके पर वाहन में केवल चालक उपस्थित मिला, जिसने अपना परिचय काशीराम पुत्र श्री राजेश कुमार बताया। मौके पर वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने प्लाटिक की कैनियों में पेट्रोल/डीजल भरा हुआ एवं पंजाब के पेट्रोल पम्प से लाना बताया। उक्त वाहन में कुल 09 प्लास्टिक कैनियां मिली, जिसमें से 06 प्लास्टिक कैनियों में 130 लीटर पेट्रोल एवं 03 प्लास्टिक कैनियों में 180 लीटर डीजल होना पाया गया। मौके पर काशीराम [illegible] पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण/परिवहन व बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर उक्त प्लास्टिक कैनियों में 130 लीटर पेट्रोल एवं 180 लीटर डीजल जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अप्रार्थी काशीराम द्वारा अवैध रूप से पेट्रोल/डीजल की खरीद, बेचान, परिवहन एवं संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:08 IST
Reason: SelfAttested

के सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है इसलिए जब्तशुदा 130 लीटर पेट्रोल, 180 लीटर डीजल मय 09 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी को जारी नोटिस उसे विधिवत् तामील होने के पश्चात भी वह उपस्थित नहीं हुआ है और जिला रसद अधिकारी द्वारा फर्द मौका मय जब्ती में अंकित किया है कि मौके पर वाहन चालक काशीराम पुत्र राजेश कुमार ने स्वयं ने हस्ताक्षर किये है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार 130 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख तथा 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी से 130 लीटर पेट्रोल एवं 180 लीटर डीजल का अन्य राज्य पंजाब [illegible]न करते हुए जब्त किया गया है। बिना अनुज्ञप्ति (License) एवं बिना [illegible] सुरक्षा पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन एवं बेचान के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

इस प्रकार अप्रार्थी काशीराम के कब्जे से उसकी दुकान में 130 लीटर पेट्रोल एवं 180 लीटर डीजल मय 09 प्लास्टिक कैनियों में परिवहन करते हुए प्राप्त हुआ है तथा **अप्रार्थी काशीराम के पास पेट्रोल के परिवहन करने का कोई**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:08 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 30/2025
(GCMS No. 2025/35)
सरकार बनाम काशीराम

वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है। इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 का स्पष्ट उललंघन किया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग "ख" के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति (License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थी द्वारा 130 लीटर पेट्रोल एवं 180 लीटर डीजल का "परिवहन" करते जब्त किया गया हैं, इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त 130 लीटर पेट्रोल, 180 लीटर डीजल मय 09 प्लास्टिक कैनी राजसात करने योग्य ठहरते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(I) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 130 लीटर पेट्रोल एवं 180 लीटर डीजल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 130 लीटर पेट्रोल एवं 180 लीटर डीजल की विक्रय राशि एवं अन्य सामान को विक्रय कर, राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:08 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर